समाधान कहीं और है

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **08 सितंबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

यह अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण समाचार है कि मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि गाय पर राजनीति बंद होनी चाहिए। यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जिम्मेदारी के मुद्दे को सिर्फ इसलिए नहीं उठाया है कि अपराध किए जाने के बाद कार्रवाई किया जा सके, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए भी इस कदम को उठाया है। जम्मू-कश्मीर से महाराष्ट्र तक, राजस्थान से असम तक, इसके समर्थक को सत्ता और अधिकार वाले लोगों द्वारा और दण्ड से मुक्ति के सामान्य वातावरण में अल्पसंख्यकों को लक्षित करने और गाय के नाम पर प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया यह हस्तक्षेप एक अपराध के उत्तरदायित्व के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारों ने इन मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए और मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया है कि वे इसके संरक्षण के लिए किये गये कार्रवाई की रिपोर्ट बनाये।

यह स्पष्ट है कि राज्य, जो कानून और व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, को सरकार की रिट को चुनौती देने वाले समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। सितंबर, 2015 में दादरी, यूपी में मोहम्मद अकलाख की हत्या कर दी गयी। वह अपने घर में बीफ रखता है, इस मामले ने देश की नई क्रूर घटना पर सबका ध्यान आकर्षित किया जो कि विभिन्न राज्यों में धीरे-धीरे फैलता चला गया। देखा जाये तो दो साल बाद, स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियुक्तों के खिलाफ अभी तक कोई आरोप तय नहीं किया जा सका हैं। इसके अलावा, यह प्रश्न उठता है कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, केवल गाय जागरूकता से निपटने के लिए, सबसे प्रभावी तरीका होगा? कैसे और किस आधार पर गाय के नाम पर हिंसा के मामलों को अलग किया जाएगा? और जिसे सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं, उसे कैसे प्राथमिकता दी जाएगी? इसके अलावा, कुछ अन्य प्रश्न भी अनिवार्य है जैसे क्या न्यायपालिका एक बार फिर, उच्च न्यायिक सिद्धांत को समझने और क्रियान्वयन के मामलों में चलने से परे जा रहा है? क्या यह एक सिद्धांत के रूप में खास तौर से सुसज्जित है? हांलाकि, संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने की याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मना कर दिया गया है, जो राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों को निमंत्रित कर सकता था, यह प्रशासक के मैदान में शक्तियों के अलग होने की भावना के खिलाफ हो सकता है। इसका निर्देश राजनीतिक नियंत्रण के अधीन, एक बेहद कम संख्या में मौजूद पुलिस बल की प्रणालीगत समस्याओं का समाधान नहीं करता है। एक दशक पहले की तुलना में प्रसिद्ध प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधार पर ऐतिहासिक फैसला अभी भी कार्यान्वयन का इंतजार कर रही है।

तथ्य यह भी है कि गाय के नाम पर आवर्ती हिंसा सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह क्रूर बहुसंख्यकवाद की राजनीति, अल्पसंख्यक-तृप्ति, कट्टरतावाद और नफरत पर आधारित है। इस तरह की हिंसा को जमीनी स्तर पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अपराधियों ने सत्ताधारी संघ परिवार की विचारधारा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय जागरूकता के खिलाफ बात की है, लेकिन जब तक वह यह सुनिश्चित कर देते कि उनका संदेश उनकी पार्टी और सरकार ने स्वीकार किया है, गाय से संबंधित यह मामला अपना भयानक रूख बनाये रखेगा।

इससे संबंधित तथ्य

- भारत में गौ भक्षकों को भूल जाओ। यहां गौ रक्षकों का बोलबाला है। आज भोजन में फाँसीवादी धर्म का तड़का लगाकर एक राजनीतिक थाल परोसा जा रहा है और वह राजनीतिक थाल गौ माता है, जिसके चलते पवित्र गाय को एक वोट देने वाली एक कामधेनु बना दिया गया है। केंद्र द्वारा मवेशी मंडियों और पशु मेलों से वध या धार्मिक बलि देने के लिए गाय, बैल, भैंस, बछड़े आदि मवेशियों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पशु क्रूरता निवारण (पशुधन बाजार विनियमन नियम) 2017 यही बताता है।
- इस विनियमन के अधिसूचित होने के बाद विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में शोर-शराबा करना शुरू किया और केंद्र पर आरोप लगाया कि वह संघवाद की भावना का उल्लंघन कर रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस अधिसूचना को गौ मांस पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध माना क्योंकि इन राज्यों में बीफ की खपत होती है। उनका मानना है कि यह सूचना व्यक्ति द्वारा अपने भोजन को चुनने की स्वतंत्रता पर भी हमला है। केंद्र की अधिसूचना को अस्वीकार करते हुए केरल और तमिलनाडु में बीफ फैस्टीवल आयोजन और मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पर 4 सप्ताह का स्थगनादेश दिया।
- इस अधिसूचना से गरीब किसानों को नुक्सान होगा और देश के मांस उद्योग में आपूर्ति भी प्रभावित होगी। देश में मांस उद्योग लगभग एक लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से 26303 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। यह उद्योग 90 प्रतिशत आपूर्ति मवेशी मंडियों से प्राप्त करता है और इस अधिसूचना के लागू होने से यह आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इस अधिसूचना से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना होंगे जहां पर साप्ताहिक मवेशी मंडियां लगती हैं। अन्य राज्यों में दूसरे राज्यों की सीमा के साथ मवेशी बाजार लगाए जाते हैं, ताकि दूसरे राज्यों के व्यापारी भी वहां से खरीद-फरोख्त कर सकें। किसान भी अपनी आय से वंचित होंगे, क्योंकि वे अपने बूढ़े और दुग्ध न देने वाले जानवरों को बेच नहीं पाएंगे।
- प्रश्न यह उठता है कि क्या इससे गौ हत्या पर अंकुश लगेगा। मुझे इस बारे में संदेह है। यह अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। एक तरह से बहुसंख्यक धर्म की प्रथाओं को अल्पसंख्यकों पर थोपा जा रहा है और अल्पसंख्यक इस नियम को तोड़ेंगे, जिसके चलते कानून और व्यवस्था की समस्या और हिंसा पैदा होगी, किंतु इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भाजपा इस बात पर बल दे रही है कि गौ मांस भक्षण भारत के मूल विचार के विरुद्ध है इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करता है तो उसे भारतीय संस्कृति और मूल्यों का विरोधी कहा जाएगा। गाय की पवित्रता हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है और लगभग 90 प्रतिशत भारतीय गाय को पवित्र गौ माता मानते हैं। केरल जैसे राज्य में जहां पर बीफ का सेवन होता है, वहां पर भी गाय को पवित्र माना जाता है किंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में पार्टी ने लचीलापन दिखाया है, क्योंकि वहां पर बीफ नियमित आहार है और पार्टी ने स्पष्ट किया है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध राज्य सरकारों को लगाना होता है।
- कुछ लोगों का मानना है कि सभी मवेशियों को इस अधिसूचना के अन्तर्गत संरक्षण देने का उद्देश्य समाज में ध्रुवीकरण तेजी से करना है और दलित तथा मुस्लिमों के विरुद्ध गौ भक्षकों द्वारा छद्म युद्ध जारी रखना है। केरल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस मुद्दे को पिछले सप्ताह राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने और उलझा दिया, जब उन्होंने जयपुर के निकट एक गौशाला में लगभग 500 मवेशियों की मौत पर एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौ हत्या करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने निर्णय में गौ माता के अनेक गुणों का बखान भी किया कि उसकी रक्षा क्यों की जानी चाहिए?
- इस वातावरण में हमारे नेतागणों ने गौ माता को पुनः एक मुख्य मुद्दा बना दिया है। निश्चित रूप से कोई भी नेता हमारे भोजन की पसंद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है किंतु इससे वे गाय के व्यापार से परहेज नहीं करते। कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ राज्यों में बूढ़े और बीमार मवेशियों को मारने की अनुमति दी गई है। कुछ राज्यों में हत्या के लिए उपयुक्त मवेशी होने का प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही उन्हें मारा जा सकता है। वस्तुतः गौ मांस भक्षण और गौ संरक्षण का गाय से कोई सरोकार नहीं है। भगवा मंत्री, नेता और स्वामी इस मुद्दे का साम्प्रदायीकरण कर रहे हैं। हिन्दू धर्म का अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।

संभावित प्रश्न

''सर्वोच्च न्यायालय ने गाय जागरूकता पर जवाबदेही की मांग करते हुए एक बेहतर कदम उठाया है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति बेहद जरूरी होती है।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322